यूजवीएन लिमिटेड
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
U J V N Limited
(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)
UJVNL
मानव संसाधन विभाग, "यमुना भवन", यमुना कालोनी, देहरादून – 248001 (उत्तराखण्ड)
Human Resources Department, "Yamuna Bhawan", Yamuna Colony, Dehradun - 248 001 (Uttarakhand)
दूरभाष / Phone-0135-2530030/2530061/2530584/2530909/2531975 फैक्स / Fax-0135-2531343/2531646 Website: www.ujvnl.com CIN No. U40101UR2001SGC025866
ISO 9001 : 2008 Certified

संख्या –3003 –यूजेवीएनलि / 05 / कार्मिक / अनु0– I I I / ए–6 दिनांकः मई,13 ,2016

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– यूजेवीएन लि0 के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को मंहगाई राहत की स्वीकृति ।

दिनांक 01, जनवरी, 2006 से वेतन / भत्ते पुनरीक्षण विषयक निगमादेश संख्या –1932 दिनांक 02, मार्च, 2009 एवं संख्या–2487 दिनांक 21–3–2009 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या –10103– यूजेवीएनलि / 05 / कार्मिक / अनु0– I / ए–6 दिनांक 19–11–2015, जिसके अनुसार दिनांक 01, जुलाई, 2015 से 119 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत अनुमन्य थी, के कम में उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्रांक–101–**XXVII** (7) 02 / 2010 दिनांक 04–05–2016 की अनुरूपता में, ऐसे समस्त पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स जिन्हें यूजेवीएनलि से पेंशन / पारिवारिक पेंशन देय है, को दिनांक 01–01–2016 से 125 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत दिये जाने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2– मंहगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रूपये में रांउड कर दिया जायेगा ।

3– उक्त देय मंहगाई राहत का भुगतान यूजेवीएन लि0 के संबंधित पेंशन खण्डों द्वारा उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–449 दिनांक 09–03–2004 की अनुरूपता में संबंधित कोषागारों के माध्यम से किया जायेगा । जिन पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स के पी0पी0ओ0 कोषागारों को प्रेषित किये जा चुके है उन्हें पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये अलग से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी ।

4– मंहगाई राहत की स्वीकृति हेतु पूर्व में निर्गत आदेशों में उल्लिखित अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् प्रवृत्त रहेंगे ।

प्रबन्ध निदेशक

संख्याः–3003(1)यूजेवीएनलि / तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निजी सचिव, अध्यक्ष,यूजेवीएन लि0,देहरादून ।
2– निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक,यूजेवीएन लि0,देहरादून ।
3– निदेशक(परियोजनाऐं) / (परिचालन) / (वित्त) / (मा0सं0),यूजेवीएन लि0,देहरादून ।
4– अधिशासी निदेशक(जानपद) / (वित्त) / (वि0 / यांत्रिक) / (मा0सं0), यूजेवीएन लि0,देहरादून ।
5– निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवायें,उत्तराखण्ड शासन,23–लक्ष्मी रोड़,देहरादून ।
6– समस्त महाप्रबन्धक,यूजेवीएन लि0 ।
7– समस्त उपमहाप्रबन्धक,यूजेवीएन लि0 ।
8– उपमहाप्रबन्धक (आई0टी0),यूजेवीएन लि0,देहरादून को निगम की वैबसाईट शीर्षक "NIGAM's ORDERS-HR" पर अपलोड़ किये जाने हेतु ।
9– समस्त अधिशासी अभियन्ता,यूजेवीएन लि0 ।
10– समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी / वरिष्ठ लेखाधिकारी / लेखाधिकारी, यूजेवीएन लि0,देहरादून ।
11– सचिव,विद्युत पेंशनर्स परिषद,84 / 1,बंसत विहार,देहरादून ।
12– उत्तरांचल विद्युत पेंशनर्स कल्याण समिति,हरबर्टपुर ।

12.5.16

(एस0 के0 चोपड़ा)
अधिशासी निदेशक (मा0सं0)

यूजेवीएन लिमिटेड
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
U J V N Limited
(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)
मानव संसाधन विभाग, "यमुना भवन", यमुना कालोनी, देहरादून – 248001 (उत्तराखण्ड)
Human Resources Department, "Yamuna Bhawan", Yamuna Colony, Dehradun - 248 001 (Uttarakhand)
दूरभाष / Phone-0135-2530030/2530061/2530584/2530909/2531975 फैक्स / Fax-0135-2531343/2531646 Website: www.ujvnl.com CIN No. U40101UR2001SGC025866
ISO 9001 : 2008 Certified

संख्या –3002–यूजेवीएनलि / 05 / कार्मिक / अनु0– III / ए–6 दिनांक: मई, 13 ,2016

विषयः–यूजेवीएन लि0 के समस्त पूर्णकालिक नियमित अधिकारियों / कर्मचारियों जिनके वेतनमान दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित किये जा चुके है, को मंहगाई भत्ते के भुगतान हेतु दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू दरें ।

समस्त महाप्रबन्धक,
समस्त उपमहाप्रबन्धक,
यूजेवीएन लि0 ।

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्रांक–100–**XXVII** (7)02 / 2010 दिनांक 04–05–2016, **शासनादेश संख्या–632 / I/2009-05-90/TC/2008 दिनांक 02,मार्च,2009 एवं शासनादेश संख्या– 430 / I/ (2) 2009-05-90/TC/2008 दिनांक** 19,मार्च,2009 के अनुपालन में एवं यूजेवीएन लि0, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या–9842–यूजेवीएनलि / 05 / कार्मिक / अनु0– I / ए–6 दिनांक 19, नवम्बर, 2015 के अनुक्रम में दिनांक 01–01–2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों में यूजेवीएनलि0 के अन्तर्गत कार्यरत समस्त पूर्णकालिक नियमित अधिकारियों / कर्मचारियों को **दिनांक 01–01–2016** से निम्नानुसार संशोधित दर पर मंहगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

तिथि जिस दिन से देय है	प्रतिमाह मंहगाई भत्ते की दर (वेतन बैण्ड में वेतन + ग्रेड पे)
01 जनवरी, 2016	(वेतन + ग्रेड पे) का 125 प्रतिशत

2– इस आदेश में स्वीकृत मंहगाई भत्ते के आंकलन हेतु वेतन का तात्पर्य दिनांक 1–1–2006 से लागू पुनरीक्षित वेतनामानों में कर्मचारियों को अनुमन्य मूल वेतन जैसा कि मूल नियम–9(2)(1) में परिभाषित है, से होगा अर्थात मंहगाई भत्ते के आंगणन हेतु विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन / भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता / वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियमों के अन्तर्गत वेतन की परिभाषा में आते हो, को मंहगाई भत्ते के आंगणन हेतु मूल वेतन के साथ सम्मलित नही किया जायेगा ।

3– इस आदेश द्वारा स्वीकृत संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते को **दिनांक 01, जनवरी, 2016 से 30, अप्रैल, 2016 तक (सेवा निवृत्त एवं 6 माह के अधीन सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को छोड़कर)** की बढ़ी धनराशि को कार्मिकों के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किया जायेगा ।

4– ई0पी0एफ0 से आच्छादित कार्मिकों को **दिनांक 01, जनवरी, 2016 से 30, अप्रैल, 2016** तक देय मंहगाई भत्ते के एरियर की 12 प्रतिशत धनराशि ई0पी0एफ0 अभिदान के रूप में कटौती करने के पश्चात शेष धनराशि बाण्ड / एनएससी / पी0पी0एफ के रुप में जमा की जायेगी। **इस सम्बन्ध में लेखा विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 252–उजविनिलि / नि0(वि) / दिनांक 26–09–2009 के अनुसार ही कार्यवाही अपेक्षित होगी ।**

5– **दिनांक 01 मई, 2016** से कार्मिकों को मंहगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जायेगा ।

क्रमशः.......2 / –